2026:AHC-LKO:41096

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW

CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438 CR.P.C.
No. - 417 of 2026

Babar Abbas

.....Applicant(s)

Versus

State Of U.P. Thru. Prin. Secy. (Home) Lko. And Another

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Sukh Deo Singh, Anita Singh
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A.

Court No. - 11

HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुखदेव सिंह तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम श्री गणेश दत्त भट्ट को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. धारा 438 दं०प्र०सं० द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र द्वारा प्रार्थी ने मुकदमा अपराध संख्या 495 सन 2003 अन्तर्गत धारा 11(घ)(द) पशु क्रूरता अधिनियम और धारा 3/5/8 उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम थाना जयसिंहपुर जिला सुल्तानपुर में अग्रिम जमानत की प्रार्थना की है।

3. उपरोक्त प्रकरण एक पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 23.06.2003 को लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर संस्थित हुआ जिसमें कहा गया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ट्रक को रोका जिससे कूदकर 4-5 व्यक्ति अंधेरे में भाग गये। ट्रक में 18 जीवित बैल निर्दयतापूर्वक लदे हुए थे जो हिलडुल नहीं पा रहे थे। प्रार्थी ट्रक का स्वामी है।

4. प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र में कहा गया कि प्रार्थी निर्दोष है।

5. शपथ-पत्र के प्रस्तर 25 में 4 अन्य आपराधिक प्रकरणों में प्रार्थी की संलिप्तता दर्शायी गयी है जिनमें से 3 में विचारण के पश्चात प्रार्थी दोषमुक्त किया जा चुका है एवं 1 प्रकरण में विवेचना में उसके विरुद्ध आरोपों की पुष्टि न होने पर अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी गयी। शपथ-पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी को प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 17.03.2026 को अपने विरुद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट की जानकारी होने पर प्रार्थी ने सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया एवं उसके निरस्तीकरण के पश्चात यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम ने कहा कि विवेचना में आरोपों की पुष्टि होने पर प्रार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

7. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों के अनुसार न तो किसी गोवंशीय पशु का वध हुआ न ही प्रदेश से बाहर अवैधानिक परिवहन का कथन किया गया है; कथित अपराध अधिकतम 7 साल के कारावास से दण्डनीय है; विवेचना पूर्ण हो चुकी है, न्यायालय का मत है कि प्रार्थी अग्रिम जमानत पाने का अधिकारी है।

8. तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में आवेदक की गिरफ्तारी/न्यायालय के समक्ष उपस्थिति की दशा में, उसे संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंध पत्र एवं दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर परीक्षण के अंतिम रूप से निस्तारण तक, निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

क- आवेदक, यदि आवश्यक होगा तो पुलिस अधिकारी द्वारा जॉच हेतु अपेक्षित समय पर उपस्थित होगा।

ख- आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए।

ग- आवेदक अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

घ- आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गयी हो;

ङ- आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा / धमकी नहीं देगा।

च- आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(Subhash Vidyarthi,J.)

June 15, 2026
Ankit

Digitally signed by :-
ANKIT SHARMA
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench